<u>न्यायालय :— विशेष न्यायाधीश {स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985} जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)</u>
{समक्ष :— नीतिराज सिंह सिसौदिया}

Registration No- 11/2017
Old Regitration No. 18/2013
Filing No-23180300725/2017
CNR No.- MP44050010232017
Filing Date- 15/07/2013

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)

*...........**अभियोगी***

/विरूद्ध/

1. गुड्डिया उर्फ भीमा पिता गोमा बंजारा आयु वर्ष निवासी ग्राम रतनपुरिया, तहसील जावद, जिला नीमच (म.प्र.)

*...........**अभियुक्त***

पुलिस थाना जावद के अपराध कमांक 28/2013 अंतर्गत धारा 8/15, 25, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण।

<u>—::: नि र्ण य :::—</u>

{आज दिनांक— **15/04/2019** को घोषित किया}

01. अभियुक्त *गुड्डिया उर्फ भीमा* के विरूद्ध *स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985* (सुविधा की दृष्टि से आगे जिसे *अधिनियम* के नाम से संबोधित किया जाएगा) की धारा 8 सहपठित 29/15 (सी) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 21.01.2013 एवं इसके आसपास सहअभियुक्तगण महेन्द्र एवं हुकुमसिंह के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के परिवहन हेतु आपराधिक षडयंत्र/दुष्प्रेरण किया, जिसके अनुक्रम में उक्त दिनांक को स्थान ग्राम खोर, जावद रोढ़ बालाजी मंदिर के सामने थाना जावद परिक्षेत्र पर अभियुक्त महेन्द्र ट्रक कमांक एच.आर.62—3795 में 29 क्विंटल 34 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा परिवहन करते हुए पाया गया।

02. प्रकरण में आरोपी हुकुमसिंह एवं महेन्द्र दोनों फरार है। इस निर्णय द्वारा मात्र अभियुक्त गुड्डिया उर्फ भीमा के संबंध में विचार किया जा रहा है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.2013 को थाना जावद की चौकी नयागांव पर सहायक उपनिरीक्षक के रूप में पदस्थ नरेन्द्रसिंह सेंगर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक एच.आर.62–3795 में आरोपी महेन्द्र अवैध डोडाचूरा लेकर जाने वाला है। उक्त मुखबिर सूचना का पंचनामा प्र.पी.01 बनाया गया तथा सूचना को रोजनामचा सान्हा पर दर्ज कर स्वतंत्र साक्षीगण संजय जायसवाल एवं अशोक सिंधी को तलब किया व उन्हें सूचना से अवगत कराया गया। सर्च वारंट प्राप्त होने में विलंब की संभावना को देखते हुए सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र.पी.02 बनाया गया तथा अधिनियम की धारा 42 के अधीन प्रतिवेदन प्र.पी.03 एस.डी.ओ.पी. जावद को भेजा गया।

04. मुखबिर सूचना के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक एन.एस. सेंगर द्वारा प्रधान आरक्षक रामपालसिंह, मो. युनूस, आरक्षक मनोज, रघुनाथसिंह, सैनिक महेश, मनोहरसिंह एवं पंच साक्षी संजय एवं अशोक सहित अनुसंधान सामग्री लेकर नयागांव–खोर रोड बालाजी मंदिर के पास पहुॅचकर नाकाबंदी की गई। कुछ देर पश्चात् मुखबिर सूचना में वर्णित ट्रक क्रमांक एच.आर.62–3795 आता दिखाई दिया गया। उक्त ट्रक को रोका गया, ट्रक चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र होना बताया। अभियुक्त को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया, इस संबंध में पंचनामा प्र.पी.04 बनाया गया। अभियुक्त को अधिनियम की धारा 50 के तहत प्र.पी.05 का सूचना पत्र देकर उक्त धारा के अधीन उसके अधिकारों से अवगत कराया गया जिस पर आरोपी ने सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्रसिंह सेंगर को स्वयं की तथा ट्रक की तलाशी लेने की लिखित सहमति प्र.पी.07 दी, जिसके संबंध में प्र.पी.06 का सहमति पंचनामा बनाया गया।

05. तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र को पुलिस बल द्वारा स्वयं की जामा तलाशी दी जिसमें कोई आपत्तिजनक मादक पदार्थ/वस्तु नहीं मिली जिसका पंचनामा प्र.पी.08 तैयार किया गया। तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र के शरीर की तलाशी लेने पर उसके पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, इस संबंध में प्र.पी.09 का पंचनामा बनाया गया। आरोपी के आधिपत्य के ट्रक क्रमांक एच.आर.62–3795 की तलाशी लेने पर उसमें 65 बोरे में भरा डोडाचूरा पाया गया जिसके संबंध में प्र.पी.10 का तलाशी पंचनामा बनाया गया। उक्त पदार्थ का परीक्षण किए जाने पर उसकी पहचान डोडाचूरा के रूप में की गई जिसके संबंध में पहचान पंचनामा प्र.पी.11 बनाया गया। पुलिस बल द्वारा साथ में लाये गये तौल कांटे का भौतिक सत्यापन कर प्र.पी.12 का पंचनामा बनाया गया, इसके पश्चात उक्त डोडाचूरा को तोला गया जिसका कुल वजन 29.34 क्विंटल होना पाया गया जिसके संबंध में तौल पंचनामा प्र.पी.13 बनाया गया। डोडाचूरा को समरस कर प्रत्येक बोरे में से 250–250 ग्राम के दो–दो सेम्पल निकाले गए जिन्हें आर्टिकल 1–ए लगायत 65–ए तथा 1–बी लगायत 65–बी के रूप में चिन्हित किया गया। मूल बोरों को आर्टिकल 01 लगायत 65 के रूप में चिन्हित किया गया। इस संबंध में पंचनामा प्र.पी.14 बनाया गया। सभी बोरों को मौके पर सीलबंद एवं चिटबंद किया गया। नमूना आर्टीकल को भी मौके पर सीलबंद एवं चिटबंद किया गया। उक्त कार्यवाही हेतु प्रयुक्त सील के संबंध में नमूना सील पंचनामा प्र.पी.15 बनाया गया। उक्त सभी सम्पत्ति–मादक पदार्थ, सेम्पल आर्टिकल, ट्रक क्रमांक एच.आर.62–3795, उक्त ट्रक के दस्तावेज–प्र.पी.17–21 आदि को आरोपी महेन्द्र के आधिपत्य से जप्त कर जप्ति पंचनामा प्र.पी.16 बनाया गया। आरोपी महेन्द्र को उसकी गिरफतारी के कारणों से अवगत कराते हुए प्र.पी.22 का पंचनामा तैयार किया गया तथा उसे प्र.पी.23 के पंचनामें अनुसार गिरफतार किया गया।

06. आरोपी महेन्द्र को जप्तशुदा मुद्देमाल सहित थाने पर लाया गया तथा अपराध क्रमांक 28/2013, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट पंजीबद्ध किया गया, प्र.पी.24 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। जप्तशुदा मुद्देमाल थाना जावद पर जमा किया गया। अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रतिवेदन प्र.पी.25 का एस.डी.ओ.पी. जावद को प्रेषित किया गया।

07. प्रकरण में अग्रिम विवेचना थाना प्रभारी पीयूष चार्ल्स द्वारा की गई। उनके द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.26 बनाया गया। जप्तशुदा सेम्पल आर्टिकल 01–ए लगायत 65–ए को जांच हेतु एफ.एस.एल. प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। इस संबंध में प्र.पी. 44 की एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। अनुसंधान में पूछताछ के दौरान अभियुक्त महेन्द्र ने पुलिस को प्र.पी.43 के अनुसार जानकारी दी जिसके आधार पर अभियुक्त गुड्डिया को प्रकरण में आरोपी बनाया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त गुड्डिया की फरारी में अभियोग पत्र दिनांक 15.07.2013 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 10.02.2016 को आरोपी गुड्डिया को प्र.पी.59 के पंचनामें अनुसार गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गुड्डिया ने प्र.पी.60 एवं 61 के मेमोरेण्डम अनुसार पुलिस को जानकारी दी जिसके आधार पर अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र दिनांक 31.03.2016 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

08. अभियुक्त गुड्डिया को निर्णय की कंडिका–1 में उल्लेखित आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण की मांग की। अभियुक्त के धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने प्रकरण के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं होना बताते हुए स्वयं को झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में किसी साक्षी को परिक्षित नहीं कराया है।

09. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है–

1- *क्या दिनांक 21.01.2013 को ग्राम खोर–जावद रोढ़ बालाजी मंदिर के सामने थाना जावद परिक्षेत्र में अभियुक्त महेन्द्र वाहन ट्रक कमांक एच.आर.62–3795 में 29 क्विंटल 34 कि.ग्रा. मादक पदार्थ डोडाचूरा अवैध रूप से अपने सचेतन आधिपत्य में रखे हुए तथा परिवहन करते हुए पाया गया ?*

2- *क्या अभियुक्त गुड्डिया उर्फ भीमा ने उक्त अपराध का आपराधिक षडयंत्र/दुष्प्रेरण किया ?*

—: सकारण निष्कर्ष :—

—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 01 पर विवेचन ::—

10. नरेन्द्रसिंह सेंगर अ.सा.01 ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 21.01.2013 को थाना जावद की चौकी नयागांव पर सहायक उपनिरीक्षक के रूप में पदस्थ थ। उसे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक कमांक एच.आर.62—3795 में आरोपी महेन्द्र अवैध डोडाचूरा लेकर जाने वाला है। उक्त मुखबिर सूचना का पंचनामा प्र.पी.01 बनाया गया तथा सूचना को रोजनामचा सान्हा पर दर्ज कर स्वतंत्र साक्षीगण संजय जायसवाल एवं अशोक सिंधी को तलब किया व उन्हें सूचना से अवगत कराया गया। सर्च वारंट प्राप्त होने में विलंब की संभावना को देखते हुए सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र.पी.02 बनाया गया तथा अधिनियम की धारा 42 के अधीन प्रतिवेदन प्र.पी.03 एस.डी.ओ.पी. जावद को भेजा गया। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन हमराह आरक्षक मनोज अ.सा.08 ने किया है। साक्षी के कथनों का समर्थन एस.डी.ओ.पी. जावद के तत्कालीन रीडर उमेश व्यास अ.सा.03 ने किया है। साक्षी ने दिनांक 21.01.2013 को प्र.पी.03 का प्रतिवेदन उक्त कार्यालय में प्राप्त होना बताया है तथा उस पर अपनी प्राप्ति अभिस्वीकृति को प्रमाणित किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन किया जाना प्रमाणित किया गया है।

11. नरेन्द्रसिंह सेंगर अ.सा.01 ने आगे कथन किया है कि मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा हमराह प्रधान आरक्षक रामपालसिंह, मो. युनूस, आरक्षक मनोज, रघुनाथसिंह, सैनिक महेश, मनोहरसिंह एवं पंच साक्षी संजय एवं अशोक सहित अनुसंधान सामग्री लेकर नयागांव—खोर रोढ बालाजी मंदिर के पास पहुँचकर नाकाबंदी की गई। कुछ देर पश्चात् मुखबिर सूचना में वर्णित ट्रक कमांक एच.आर. 62—3795 आता दिखाई दिया गया। उक्त ट्रक को रोका गया, ट्रक चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र होना बताया। अभियुक्त महेन्द्र को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया, इस संबंध में पंचनामा प्र.पी.04 बनाया गया। अभियुक्त महेन्द्र को अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्र.पी.05 का सूचना पत्र देकर उक्त धारा के अधीन उसके अधिकारों से अवगत कराया गया जिस पर आरोपी महेन्द्र ने उसे स्वयं की तथा ट्रक की तलाशी लेने की लिखित सहमति प्र.पी.07 दी, जिसके संबंध

में प्र.पी.06 का सहमति पंचनामा बनाया गया। उपरोक्त साक्षी के कथनों का समर्थन हमराह आरक्षक मनोज अ.सा.08 ने किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना प्रमाणित किया गया है।

12. नरेन्द्रसिंह सेंगर अ.सा.01 ने आगे कथन किया है कि तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र को पुलिस बल द्वारा स्वयं की जामा तलाशी दी जिसमें कोई आपत्तिजनक मादक पदार्थ/वस्तु नहीं मिली जिसका पंचनामा प्र.पी.08 तैयार किया गया। तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र के शरीर की तलाशी लेने पर उसके पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, इस संबंध में प्र.पी.09 का पंचनामा बनाया गया। आरोपी के आधिपत्य के ट्रक कमांक एच.आर.62–3795 की तलाशी लेने पर उसमें 65 बोरे में भरा डोडाचूरा पाया गया जिसके संबंध में प्र.पी.10 का तलाशी पंचनामा बनाया गया। उक्त पदार्थ का परीक्षण किए जाने पर उसकी पहचान डोडाचूरा के रूप में की गई जिसके संबंध में पहचान पंचनामा प्र.पी.11 बनाया गया। पुलिस बल द्वारा साथ में लाये गये तौल कांटे का भौतिक सत्यापन कर प्र.पी.12 का पंचनामा बनाया गया, इसके पश्चात उक्त डोडाचूरा को तोला गया जिसका कुल वजन 29.34 क्विंटल होना पाया गया जिसके संबंध में तौल पंचनामा प्र.पी.13 बनाया गया। डोडाचूरा को समरस कर प्रत्येक बोरे में से 250–250 ग्राम के दो–दो सेम्पल निकाले गए जिन्हें आर्टिकल 1–ए लगायत 65–ए तथा 1–बी लगायत 65–बी के रूप में चिन्हित किया गया। मूल बोरों को आर्टिकल 01 लगायत 65 के रूप में चिन्हित किया गया। इस संबंध में पंचनामा प्र.पी.14 बनाया गया। सभी बोरों को मौके पर सीलबंद एवं चिटबंद किया गया। नमूना आर्टीकल को भी मौके पर सीलबंद एवं चिटबंद किया गया। उक्त कार्यवाही हेतु प्रयुक्त सील के संबंध में नमूना सील पंचनामा प्र.पी.15 बनाया गया। उक्त सभी सम्पत्ति–मादक पदार्थ, सेम्पल आर्टिकल, ट्रक कमांक एच.आर.62–3795, उक्त ट्रक के दस्तावेज–प्र.पी.17–21 आदि को आरोपी के आधिपत्य से जप्त कर जप्ति पंचनामा प्र.पी.16 बनाया गया। आरोपी को उसकी गिरफतारी के कारणों से अवगत कराते हुए प्र.पी.22 का पंचनामा तैयार किया गया तथा उसे प्र.पी.23 के पंचनामें अनुसार गिरफतार किया गया। उपरोक्त साक्षी के कथनों का समर्थन हमराह आरक्षक मनोज अ.सा.08 ने किया है।

13. नरेन्द्रसिंह सेंगर अ.सा.01 ने आगे कथन किया है कि आरोपी को जप्तशुदा मुद्देमाल सहित थाने पर लाया गया तथा अपराध क्रमांक 28/2013, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट पंजीबद्ध किया गया, प्र.पी.24 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। जप्तशुदा मुद्देमाल थाना जावद पर जमा किया गया। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्र.पी.29 लगायत 42 की रोजनामचा प्रविष्टी को प्रमाणित किया गया है। साक्षी के कथनों का समर्थन मालखाना प्रविष्टी प्र.पी.47 से होती है, जिसके अनुसार दिनांक 21.01.2013 को प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ एवं ट्रक मालखाने में जमा किये जाने का उल्लेख है।

14. नरेन्द्रसिंह सेंगर अ.सा. 01 ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रतिवेदन प्र.पी.25 का एस.डी.ओ.पी. जावद को प्रेषित किया गया। साक्षी के कथनों का समर्थन एस.डी.ओ.पी. जावद के तत्कालीन रीडर उमेश व्यास अ.सा.03 ने किया है। साक्षी ने दिनांक 21.01.2013 को प्र.पी.25 का प्रतिवेदन उक्त कार्यालय में प्राप्त होना बताया है तथा उस पर अपनी प्राप्ति अभिस्वीकृति को प्रमाणित किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना प्रमाणित किया गया है।

15. नरेन्द्रसिंह सेंगर अ.सा.01 के कथनों के दौरान मौके पर निकाले गये नमूना आर्टिकल 1–बी लगायत 65–बी, अधिनियम की धारा 52–ए के अधीन निकाले गये सेम्पल 1–सी लगायत 65–सी एवं 1–डी लगायत 65–डी तथा एफ.एस.एल. प्रयोगशाला से जांच उपरांत प्राप्त नमूने पैकेट 1–ए लगायत 65–ए प्रस्तुत किए गये हैं जिन्हें साक्षी ने प्रमाणित किया है।

16. पीयूष चार्ल्स अ.सा.07 ने अपने कथन में बताया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.26 बनाया गया। साक्षी ने जप्तशुदा सेम्पल आर्टिकल 01–ए लगायत 65–ए को जांच हेतु एफ.एस.एल. प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाना बताया है। इस संबंध में प्र.पी.44 की एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्र.पी.44 की एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट अनुसार भेजे गये सेम्पल आर्टिकल 1–ए लगायत 65–ए में पोस्त तृण (डोडाचूरा) होना पाया गया है। उपरोक्त साक्षी के

कथनों का समर्थन प्र.पी.47 के मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टी से होता है जिसके अनुसार दिनांक 24.01.2013 को जप्तशुदा नमूना आर्टिकल एफ.एस.एल. भोपाल भेजे जाने का उल्लेख है तथा दिनांक 30.05.2012 को नमूना जमा किए जाने की रसीद प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है।

17. पीयूष चार्ल्स अ.सा.07 ने कथन किया है कि प्रकरण में उसके द्वारा अधिनियम की धारा 52–ए के अधीन कार्यवाही कराई गई थी, इस संबंध में तत्कालीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्र.पी.45 का पत्र लिखा गया था। अजय हिंगे अ.सा.10 (तत्कालीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट जावद) ने कथन किया है कि थाना प्रभारी के पत्र प्र.पी.45 के आधार पर उसके द्वारा प्रकरण में अधिनियम की धारा 52–ए के अधीन कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा प्रत्येक बोरों में से दो–दो सेम्पल निकाले गये थे। इस संबंध में साक्षी ने प्र.पी.48 की आदेश पत्रिका, प्र.पी. 49 की इंवेन्ट्री/अनुक्रमाणिका एवं प्र.पी.50–57 के छायाचित्रों को प्रमाणित किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 52–ए के अधीन कार्यवाही किया जाना प्रमाणित किया गया है।

18. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52–ए (4) में यह उपबंधित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय धारा 52–क (2) के अधीन तैयार की गई प्रमाणित तालिका, उनके छायाचित्र, नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करेगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 52–ए (4) के अनुसार जप्तशुदा मूल मुद्देमाल के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित तालिका एवं छायाचित्र साक्ष्य में ग्राह्य है।

19. मौके पर की गई कार्यवाही के पंच साक्षीगण संजय अ.सा.04 एवं अशोक अ.सा.06 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

20. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सह–अभियुक्त महेन्द्र द्वारा कोई मादक पदार्थ परिवहन नहीं किया गया

है। स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद होना बताते हुए आरोपी गुड्डिया को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

21. बचाव पक्ष की ओर से दिये गए तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह सही है कि पंच साक्षीगण संजय अ.सा.04 एवं अशोक अ.सा.06 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। न्यायदृष्टांत *अशोक उर्फ डांगरा जायसवाल विरूद्ध म.प्र. राज्य 2011 (2) एलएससीटी 41 (सु.को.)* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि प्रतिपादित की गई है कि आपराधिक मामलों में तथा विशेषकर एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों में पंच साक्षीगण का पक्ष विरोधी हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। मात्र पंच साक्षीगण के पक्ष विरोधी घोषित हो जाने के आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं होता है। न्यायदृष्टांत *सुनील तोमर विरूद्ध पंजाब राज्य (2013) 1 एस.सी.सी. 395* में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा न्यायदृष्टांत *घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार विरूद्ध म.प्र. राज्य 2016 क्रिमिनल लॉ जरनल 4937* में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह विधि प्रतिपादित की है कि यदि पुलिस कर्मचारियों के कथन विश्वास योग्य हों तथा अभियुक्त तथा पुलिस साक्षीगण के मध्य कोई शत्रुता न हो तो स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किए जाने पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में पुलिस साक्षीगण एवं अभियुक्त के मध्य शत्रुता का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। पुलिस साक्षीगण के कथनों में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पर उनके उपरोक्त कथनों पर अविश्वास किया जाए। उनके कथन पूर्णतः विश्वसनीय है। पुलिस साक्षीगण के कथनों की पुष्टि अविलंब लिखवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, उचित रूप में बनाए गए पंचनामों एवं रोजनामचा प्रविष्टियों से होती है।

22. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि एन.एस. सेंगर अ.सा. 01 द्वारा घटना दिनांक को सह–अभियुक्त महेन्द्र के सचेतन आधिपत्य से 29.34 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त होने का तथ्य प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी का कथन पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि हमराह आरक्षक मनोज अ.सा.08 के कथनों से होती है। अभियोजन के मामले की पुष्टि अविलंब भेजे गये अधिनियम की धारा

42 के प्रतिवेदन प्र.पी03 व अधिनियम की धारा 57 के अधीन भेजे गये प्रतिवेदन प्र.पी.25 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.24 से होती है। अभियोजन के मामले की पुष्टि रोजनामचा प्रविष्टी से होती है। अतः यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को सह–अभियुक्त महेन्द्र ट्रक क्रमांक एच. आर.62–3795 में 29.34 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ पोस्त तृण (डोडाचूरा) अवैध रूप से अपने सचेतन आधिपत्य में रखे हुए तथा परिवहन करते हुए पाया गया। यह प्रमाणित है कि सह–अभियुक्त महेन्द्र के सचेतन आधिपत्य से उक्त मादक पदार्थ जप्त किया गया है।

–:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 पर विवेचन ::–

23. अभियुक्त गुड्डिया उर्फ भीमा के विरूद्ध मुख्य रूप से यह आक्षेप है कि उसके द्वारा उक्त अवैध मादक पदार्थ के अवैध परिवहन में आपराधिक षडयंत्र/दुष्प्रेरण किया गया। इस संबंध में पीयूष चार्ल्स अ.सा. 07 ने कथन किया है कि उसने सह–अभियुक्त महेन्द्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्र.पी.43 का मेमोरेण्डम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाया था। आरोपी गुड्डिया उर्फ भीमा के फरार हो जाने के कारण उसने प्र.पी.46 का फरारी पंचनामा भी बनाया था। कमलेश सिंगार अ.सा.05 ने कथन किया है कि उसने दिनांक 10.02.2016 को प्र.पी.59 के पंचनामें अनुसार आरोपी गुड्डिया को गिरफ्तार किया था। आरोपी गुड्डिया से पूछताछ करने पर उसने प्र.पी.60 के पंचनामें अनुसार उसे जानकारी दी थी और सह–अभियुक्त हुकुमसिंह को चलकर पकडवाना व्यक्त किया था। अभियुक्त ने पुनः दिनांक 14.02.2016 को प्र. पी.61 के मेमोरेण्डम अनुसार उसे जानकारी दी थी और सह–अभियुक्त हुकुमसिंह को पकडवाना व्यक्त किया था।

24. मेमोरेण्डम प्र.पी.43 के स्वतंत्र साक्षी के रूप में परिक्षित भरत महेश अ.सा.02 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी पीयूष चार्ल्स अ.सा.07 ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिया है कि प्र.पी.43 के कथित मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ति की गई अथवा पुलिस को किसी नवीन तथ्य की जानकारी हुई। *न्यायदृष्टांत पुलुकुरी कोट्टया विरूद्ध एम्परर, ए.आई.आर.1947 पीसी 67* में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि पुलिस की अभिरक्षा के दौरान किसी अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27

के अधीन तभी साक्ष्य में ग्राह्य है जब इसके आधार पर कोई जप्ति हुई हो अथवा इसके आधार पर पुलिस को किसी नवीन तथ्य की जानकारी हुई हो। *न्यायदृष्टांत रघु ठाकुर विरूद्ध म.प्र. राज्य 2012 (4) एम.पी.एच.टी. 116* में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि प्रतिपादित की गई है कि सह– अभियुक्त द्वारा दिया गया मेमोरेण्डम किसी अन्य अभियुक्त के विरूद्ध विचार में नहीं लिया जा सकता है।

25. प्र.पी.43 के मेमोरेण्डम के आधार पर न तो कोई जप्ति हुई है और न इसके आधार पर पुलिस को किसी नवीन तथ्य की जानकारी हुई है। अतः सह–अभियुक्त महेन्द्र द्वारा दिया गया उक्त मेमोरेण्डम अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। पुलिस की अभिरक्षा के दौरान दिये गये उक्त कथन अन्य किसी आधार पर भी अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

26. कमलेश सिंगार अ.सा.05 ने कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 10.02.2016 को प्र.पी.59 के पंचनामें अनुसार आरोपी गुड्डिया को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी गुड्डिया ने उसे प्र.पी.60 व 61 के मेमोरेण्डम अनुसार यह जानकारी दी थी और सह–अभियुक्त हुकुमसिंह को पकडवाना व्यक्त किया था। उक्त साक्षी ने कहीं पर भी यह कथन नहीं किया है कि प्र.पी.60 व 61 के उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ति की गई अथवा पुलिस को किसी नवीन तथ्य की जानकारी हुई।

27. *न्यायदृष्टांत पुलुकुरी कोट्टया विरूद्ध एम्परर, ए.आई.आर. 1947 पीसी 67* में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि पुलिस की अभिरक्षा के दौरान किसी अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन तभी साक्ष्य में ग्राह्य है जब इसके आधार पर कोई जप्ति हुई हो अथवा इसके आधार पर पुलिस को किसी नवीन तथ्य की जानकारी हुई हो।

28. प्र.पी.60 व 61 के मेमोरेण्डम के आधार पर न तो कोई जप्ति हुई है और न इसके आधार पर पुलिस को किसी नवीन तथ्य की

जानकारी हुई है। अतः उक्त मेमोरेण्डम अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। पुलिस की अभिरक्षा के दौरान दिये गये उक्त कथन अन्य किसी आधार पर भी अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

29. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध मादक पदार्थ के अवैध परिवहन के संबंध में आपराधिक षडयंत्र/दुष्प्रेरण का आक्षेप मात्र इस आधार पर लगाया गया है कि सह–अभियुक्त महेन्द्र द्वारा अपने मेमोरेण्डम प्र.पी.43 में उक्त अभियुक्त के नाम का उल्लेख किया गया है। प्र.पी.43 का मेमोरेण्डम अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसी प्रकार प्र.पी.60 व 61 का मेमोरेण्डम भी उक्त अभियुक्त गुड्डिया के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपराध के आपराधिक षडयंत्र/दुष्प्रेरण के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अतः यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी गुड्डिया द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ 29.34 क्विंटल डोडाचूरा के अवैध परिवहन के अपराध में आपराधिक षडयंत्र/दुष्प्रेरण किया गया। परिणामस्वरूप अभियुक्त **गुड्डिया** को *स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985* की *धारा 8 सहपठित धारा 29/15 (सी)* के आरोप से ***दोषमुक्त*** किया जाता है।

30. अभियुक्त गुड्डिया के जमानत व बंधपत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संशोधन अधिनियम 2008) (एक्ट क.–5/09) की धारा 437(ए) के प्रावधानों के अधीन दी गई प्रतिभूति व स्वीय बंधपत्र आगामी छः माह के लिये प्रवृत्त रहेंगे यदि कोई अपील होती है, तो अभियुक्त अपील मामले में स्वयं को उपस्थित रखेगा, तदोपरांत अपील न होने पर अभियुक्त के जमानत व बंधपत्र भारमुक्त हो।

31. अभियुक्त गुड्डिया उर्फ भीमा द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अधीन प्रमाण पत्र बनाया जाये।

32. प्रकरण में सह–अभियुक्त महेन्द्र एवं हुकुमसिंह फरार है। अतः जप्तशुदा संपत्ति के व्ययन के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

स्थान– जावद, जिला–नीमच (म.प्र.)
दिनांक – 15/04/2019

(नीतिराज सिंह सिसौदिया)
विशेष न्यायाधीश
एनडीपीएस एक्ट 1985
जावद, जिला–नीमच (म.प्र.)

NEETIRAJ SINGH SISODIYA Digitally signed by NEETIRAJ SINGH SISODIYA